

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
हरिद्वार।

गृह अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक 23 दिसम्बर, 2021

विषय- जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2016 अन्तर्गत धारा 420, 120बी, 379, 411 भादवि व धारा 04/21 एम0एम0डी0आर0 अधिनियम सरकार बनाम विजय आदि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-4423/न्याय अनु0/वाद वापसी/19, दिनांक 21.12.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद हरिद्वार के थाना लक्सर में पंजीकृत मु0अ0सं0 185/2016 अन्तर्गत धारा 420, 120बी, 379, 411 भादवि व धारा 04/21 एम0एम0डी0आर0 अधिनियम सरकार बनाम विजय आदि को जनहित में वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तदनुसार सम्बन्धित मामले के भार साधक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करते हुए उक्त वाद से सम्बन्धित अभियोजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-321 के अन्तर्गत सम्बन्धित न्यायालय की सम्मति से वापस लेने का कष्ट करें। राज्य सरकार की लिखित अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जा रही है कि इस प्रकरण का दृष्टांत अन्य किसी मामले में नहीं लिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव



प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
पिथौरागढ़।

गृह अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक 31 दिसम्बर, 2021

विषय: जनपद पिथौरागढ़ के थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2020 अन्तर्गत धारा 269, 270, 307, 420, 468, 471 भादवि व 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाम हर्षित जोशी को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-70/अठारह-वा.स./2020-21 दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद पिथौरागढ़ के थाना कोतवाली पिथौरागढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 145/2020 अन्तर्गत धारा 269, 270, 307, 420, 468, 471 भादवि व 51 बी आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाम हर्षित जोशी को जनहित में वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तदनुसार सम्बन्धित मामले के भारसाधक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करते हुए उक्त वाद से सम्बन्धित अभियोजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-321 के अंतर्गत सम्बन्धित न्यायालय की सम्मति से वापस लेने का कष्ट करें। राज्य सरकार की लिखित अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जा रही है कि इस प्रकरण का दृष्टांत अन्य किसी मामले में नहीं लिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।



भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव

प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
अल्मोड़ा।

गृह अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक 29 अक्टूबर, 2021

विषय : जनपद अल्मोड़ा के थाना द्वारा मु0अ0सं0 08/2015 (वाद संख्या 1044/2019) अन्तर्गत धारा 409, 420 भादवि सरकार बनाम हर्ष पाण्डे आदि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2804(1)/बीस-10/जे.ए./2019-20 दिनांक 20.04.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद अल्मोड़ा के थाना द्वारा मु0अ0सं0 08/2015 (वाद संख्या 1044/2019) अन्तर्गत धारा 409, 420 भादवि सरकार बनाम हर्ष पाण्डे आदि को जनहित में वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तदनुसार सम्बन्धित मामले के भार साधक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करते हुए उक्त वाद से सम्बन्धित अभियोजन को क्रिया संहिता, 1973 की धारा-321 के अंतर्गत सम्बन्धित न्यायालय की सम्मति से वापस लेने का कष्ट करें। राज्य सरकार की लिखित अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जा रही है कि इस प्रकरण का दृष्टांत अन्य किसी मामले में नहीं लिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन का अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव



प्रेषक,

अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
ऊधमसिंहनगर।

गृह अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक 5 जनवरी, 2022

विषय: जनपद ऊधमसिंहनगर के थाना नानकमत्ता में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2015 (वाद संख्या 1541/2015) अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 15 इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1956 सरकार बनाम देवेन्द्र सिंह आदि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2388/न्याय अनुभाग प्रथम/xx (पत्रा0 सं0 24/3)/2020 दिनांक 22.11.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद ऊधमसिंहनगर के थाना नानकमत्ता में पंजीकृत मु0अ0सं0 86/2015 (वाद संख्या 1541/2015) अन्तर्गत धारा 420 भादवि व 15 इंडियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट 1956 सरकार बनाम देवेन्द्र सिंह आदि को जनहित में वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तदनुसार सम्बन्धित मामले के भारसाधक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करते हुए उक्त वाद से सम्बन्धित अभियोजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-321 के अंतर्गत सम्बन्धित न्यायालय की सम्मति से वापस लेने का कष्ट करें। राज्य सरकार की लिखित अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जा रही है कि इस प्रकरण का दृष्टांत अन्य किसी मामले में नहीं लिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(अतर सिंह)
अपर सचिव

प्रेषक,
अतर सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
जिला मजिस्ट्रेट,
ऊधमसिंहनगर।

गृह अनुभाग-7

देहरादून, दिनांक 5, जनवरी, 2021

विषय: जनपद ऊधमसिंहनगर के थाना खटीमा में पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2014 (वाद संख्या 147/2015) अन्तर्गत धारा 147,148,149,332,353,186,307,504,506,427 भादवि व 07 सी0एल0ए0 एक्ट सरकार बनाम राजू उर्फ राजेन्द्र आदि को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में।

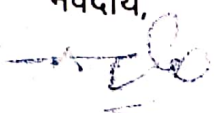
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-13830/न्याय अनुभाग प्रथम/xx (पत्रा0 सं0 24/3)/2020 दिनांक 03.09.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त जनपद ऊधमसिंहनगर के थाना खटीमा में पंजीकृत मु0अ0सं0 71/2014 (वाद संख्या 147/2015) अन्तर्गत धारा 147, 148, 149 332, 353, 186, 307, 504, 506, 427 भादवि व 07 सी0एल0ए0 एक्ट सरकार बनाम राजू उर्फ राजेन्द्र आदि को जनहित में वापस लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- तदनुसार सम्बन्धित मामले के भारसाधक अभियोजन अधिकारी को निर्देशित करते हुए उक्त वाद से सम्बन्धित अभियोजन को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-321 के अंतर्गत सम्बन्धित न्यायालय की सम्मति से वापस लेने का कष्ट करें। राज्य सरकार की लिखित अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जा रही है कि इस प्रकरण का दृष्टांत अन्य किसी मामले में नहीं लिया जायेगा।

3- कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।



भवदीय,

(अतर सिंह)
अपर सचिव